यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, ''यमुना भवन'', यमुना कालोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)
दूरभाष / Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या 5589 / यूजेवीएन लि / 05 / कार्मिक / अनु0–3 / एम–4 दिनांक 06.08.2016

कार्यालय ज्ञापन

एतदद्वारा यूजेवीएन लि0 के कार्यालय ज्ञापन सं0 7532 / यूजेवीएन लि / औ0सं0 / अनु0–3 / एम–4 दिनांक 19.07.2014 के क्रम में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निम्नलिखित आदेशों के द्वारा मान्यता प्रदान किये गये चिकित्सालयों, को यूजेवीएन लि0 द्वारा भी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय मानते हुए, यूजेवीएन लि0 के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों, तथा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद / उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक, जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों, सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के उपरान्त उनकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) द्वारा उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सा कराये जाने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों का निस्तारण किये जाने की स्वीकृति नीचे अंकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैं।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 2791–औसं / 2016–11(1)ए0एस0 / 09(16) दिनांक 08.07.2016 के द्वारा चिकित्सालयों की मान्यता विस्तारण करते हुए निम्नानुसार दो सूचियां संलग्न की गई हैः–

1. संलग्न सूची–1 में इंगित 85 चिकित्सालयों / चिकित्सा संस्थानों की दिनांक 30.06.2016 के उपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.06.2018 तक विस्तारित की गई हैं।
2. संलग्न सूची–2 में इंगित 44 चिकित्सालयों / चिकित्सा संस्थानों द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा मांगी गई सूचनाओं के उपलब्ध न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कर्मचारियों को असुविधा न हो, को संज्ञान मे लेते हुए इन चिकित्सालयों की दिनांक 30.06.2016 के उपरान्त अग्रेतर मान्यता अवधि दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक ही विस्तारित की गई हैं।

प्रतिबंधः–

1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के उपरोक्त अंकित आदेश में उल्लिखित चिकित्सालयों के अतिरिक्त एवं आगामी अवधि में यदि अन्य चिकित्सालयों को भी मान्यता प्रदान / विस्तारित की जाती हैं, तो वे चिकित्सालय भी यूजेवीएन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की श्रेणी में रखे जायेगें।
2. यूजेवीएन लिमिटेड के समस्त कार्यालयों द्वारा संलग्न सूची के मान्यता प्रदान चिकित्सालयों में कराये जाने वाले उपचार से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेब साईट **www.uppcl.org** का अवलोकन कर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त चिकित्सालय की मान्यता जारी है अथवा नही। चिकित्सालय की मान्यता होने की स्थिति में ही प्रकरण पर विचार किया जाये।
3. वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड के लगभग समस्त कार्यालयों में नैट कनैक्शन की सुविधा उपलब्ध हैं, और उ0प्र0 कारपोरेशन लि0 की वेब साईट **www.uppcl.org** से सम्बन्धित आदेश डाउनलोड किये जा सकते हैं। किसी भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण को यूजेवीएन लिमिटेड मुख्यालय को अग्रसारित करते हुए अथवा अपने स्तर से निस्तारित करते हुए, उ0प्र0 कारपोरेशन लि0 की वेब साईट **www.uppcl.org** से डाउनलोड किये गये आदेशों को अवश्य संज्ञान में लिया जाये एवं उसकी एक प्रति प्रकरण अग्रसारित करते समय अवश्य संलग्न की जाये।
4. यूजेवीएन लिमिटेड में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध न होने के कारण संलग्न सूची में दर्शाये गये चिकित्सालयों में क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, तथा चिकित्सा उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालय द्वारा रोगी से चिकित्सा व्यय के सापेक्ष पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जायेगा।
5. इन आदेशों से अपने अधीनस्थ सम्बन्धित कार्यालयों एवं कार्मिकों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

AE(IT) Pl. upload on website. 10/8/16 SM-IT

06/8/16

निदेशक (मा0सं0)

संख्या : 5589 / यूजेवीएन लि / 05 / कार्मिक / अनु0–3 / एम–4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून.
3. निदेशक (परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
4. अधिशासी निदेशक (जानपद) / (वि0 / या0) / (वित्त) / (मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।**
6. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
7. उपमुख्य लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
9. वरिष्ठ प्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर **"चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत"** अपलोड करने हेतु।
10. समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालयों के प्रबन्धक
11. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद–उत्तराखंड, 21–फील्ड होस्टल, उर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून
12. महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, फतेहपुर रोड, हरबर्टपुर (देहरादून)

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

06/8/16

(आशिष कुमार जैन)
उपमहाप्रबन्धक (कार्मिक)